न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

महावीर बनाम भूमिधारी नाहिलमौजे...

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

धारा 131 LRACT प्रक. नं. 106/2023

तारीख हुक्म	
	हुये वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाता है । पत्रावली. देखने तामील दिनांक 19.01.2024 को पेश हो । (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
19.01.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीगण उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 10 व 11 की ओर से वकील श्री अभिषेक कुमावत द्वितीय ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1, 7 ता 9 को रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1, 7 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही करना जाहिर किया । वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया । जिस पर वकील अप्रार्थी ने बहस सुने जाने की सहमति दी । बहस उभय पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29.01.2024 को पेश हो । (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
29.01.2024	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित । प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो । । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । 29/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 15:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
106 / 2023	2023 / 939	17.07.2023	29.01.2024

उनवान

1. महावीर पुत्र भूराराम उम्र 53 वर्ष जाति अहीर
2. धन्नाराम पुत्र प्रभातीलाल उम्र 60 वर्ष जाति अहीर
3. रामचन्द्र पुत्र प्रभातीलाल उम्र 43 वर्ष जाति अहीर
4. रामेश्वर पुत्र भूराराम उम्र 42 वर्ष जाति अहीर समस्त निवासीगण ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

अप्रार्थी

2. भगवान सहाय पुत्र अर्जुन उम्र 52 वर्ष जाति जाट
3. गंगाराम पुत्र अर्जुन उम्र 40 वर्ष जाति जाट
4. सुरेश पुत्र अर्जुन उम्र 35वर्ष जाति जाट
5. नाथी पत्नि अर्जुन उम्र 70 वर्ष जाति जाट
6. कालूराम पुत्र प्रभातीलाल उम्र 53 वर्ष जाति अहीर
7. पप्पूराम पुत्र भूराराम उम्र 49 वर्ष जाति अहीर
8. झाबर पुत्र भींवा उम्र 30 वर्ष जाति जाट
9. गुलाबी पत्नी भींवा उम्र 50 वर्ष जाति जाट
10. रामजीलाल पुत्र प्रभातीलाल उम्र 42 वर्ष जाति अहीर
11. रामवतार पुत्र प्रभातीलाल उम्र 45 वर्ष जाति अहीर

समस्त निवासीगण ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

तरतीबि अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 15:12:13 IST
Reason: SelfAttested

29/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–1

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/425 रकबा 0.5264है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. है । जिसके प्रार्थीगण व तरतीबि अप्रार्थीगण व उनके मृतक पिता/पति/मां राजस्व रिकोर्ड के अनुसार रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 916/425 कुल 0.5264है0 पूर्व के कायम खसरा नम्बर 425 रकबा 1.22 है0 का भाग है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 425 के मध्य से राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम हो जाने के कारण इसके नवीन खसरा नम्बर 916/425 रकबा 0.5264है0, खसरा नम्बर 917/425 रकबा 0.06है0 किस्म गै0मु0 रास्ता , खसरा नम्बर 918/425 रकबा 0.6336 कायम हुये है । उक्त नवीन खसरा नम्बर 425 के पुराने खसरा नम्बर 254 थे । पुराने राजस्व रिकोर्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर को यथास्थान सही रूप से दर्शित किया गया है । पुराने नक्शा ट्रेस में उक्त पुराने खसरा नम्बर 254 की उत्तरी सीमा अपने सही स्थान पर होकर उत्तरी पूर्वी कोने में पुराने खसरा नम्बर 251 के उत्तरी पश्चिमी कोने से करीब 4 मीटर ऊपर खसरा नम्बर 228 के मध्य तक आती है । इस प्रकार प्रार्थीगण के पुराने खसरा नम्बर 254 की पूर्वी भूजा खसरा नम्बर 251 के उत्तरी पश्चिमी कोने से करीब 4 मीटर उत्तर दिशा से चालु होकर खसरा नम्बर 255 तक आती है । जो कि पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से यथास्थान दर्शित है । परन्तु अभिनव पैमाईश 1980–82 के दौरान सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही करते गलत तरमीम कर दी । जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पुराने खसरा नम्बर 254 के नवीन खसरा नम्बर 424, 425, 428

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 15:32:13 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह) 29/01/24
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कायम किये । जिसमें उक्त पुराने खसरा नम्बर 254 के उत्तरी भाग के खसरा नम्बर 425 कायम किये । परन्तु इसका नक्शा ट्रेस बनाते समय गफलत व लापरवाही करते हुए खसरा नम्बर 254 (नये खसरा नम्बर 425) की उत्तरी भूजा जो कि नये खसरा नम्बर 423 के पश्चिमी–उत्तरी कोने से 4 मीटर ऊपर कायम होनी थी , को एकदम सीधा करते हुए भूमि खसरा नम्बर 423 के पश्चिमी–उत्तरी कोने में ही मिला दी । जो कि सैटलमेन्ट विभाग की गफलव व लापरवाही है । सैटलमेन्ट विभाग को किसी भी खसरा का क्षेत्रफल बदलने या उसके नक्शा ट्रेस की सीमा बदलने या नक्शा ट्रेस मे परिवर्तन करने या गलत तरमीम करने का कोई अधिकार नही है । प्रार्थीगण अपने वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 916/425 की उत्तरी भूजा को पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरस्त व सही तरमीम करवाने के विधिक अधिकारी है । इसलिये वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 916/425 की उत्तरी भूजा को पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरस्त व सही तरमीम किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है । प्रार्थीगण ने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में दिनांक 08.06.2023 को कैम्प आसपुरा में उक्त नक्शा ट्रेस को दुरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय के आदेश पर ही उक्त दुरस्ती होने बाबत अवगत करवाने पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नवीन खसरा नम्बर 916/425 रकबा 0.5264है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. की उत्तरी भूजा जिसकी सैटलमेन्ट के दौरान गलत तरमीम कर दी गई , जिसको संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है , को पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से दर्शित खसरा नम्बर 254 की उत्तरी भूजा के अनुसार यथास्थान तरमीम किये जाने के अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश प्रदान करे ।

इस पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रकरण से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने के तहरीर आदेश जारी किये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से जांच रिपोर्ट जरिये क्रमांक/भू0अ0/23/2251 दिनांक 22.12.2023 न्यायालय में पेश हुई । जिसको शामिल पत्रावली किया गया । तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट पेश होने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 15:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
29/01/24

पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया गया । अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 10 व 11 की ओर से वकील श्री अभिषेक कुमावत द्वितीय ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1, 7 ता 9 की रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1, 7 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही करना जाहिर किया ।

वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जांच रिपोर्ट पेश हो जाने एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही करने के चलते प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने की बहस हेतु सहमति दी । इस पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/425 रकबा 0.5264है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड होना प्रकट है । प्रकरण के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से जांच रिपोर्ट जरिये कमांक/भू0अ0/23/2251 दिनांक 22.12.2023 पेश हुई है । उक्त जांच रिपोर्ट में प्रथम भू प्रबन्ध बन्दोबस्त की नक्शा शीट अनुसार नजरी नक्शा द्वितीय का बिन्दु वर्तमान नक्शा शीट के अनुसार नजरी नक्शा प्रथम में बिन्दु बी से बिन्दु ए की तरफ पश्चिम दिशा में 20 मीटर दूरी पर नजरी नक्शा प्रथम की सीमा एबी से करीब 4 मीटर वर्तमान खसरा 387 की तरफ उत्तर दिशा में अवस्थित होकर खसरा संख्या 424 के उत्तरी –पश्चिमी कोने तक आकर वर्तमान नक्शा शीट अनुसार है। जहां से आगे वर्तमान नक्शा शीट अनुसार नजरी नक्शा प्रथम में बिन्दु बी से बिन्दु ए की तरफ [illegible] दूरी पर अधिकतम 4 मीटर वर्तमान खसरा 916/425(मूल 425) की तरफ दक्षिण दिशा [illegible] होकर इसी दिशामें आगे बिन्दु बी से 140 मीटर दूरी पर वर्तमान सीमा [illegible] अनुसार अवस्थित है । इस प्रकार उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 916/425(मूल 425) की उत्तरी सीमा में द्वितीय सैटलमेन्ट के बाद 4 मीटर का अंतर आया है । इस संबंध में द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 15:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सैटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर की उत्तरी सीमा की तरमीम गलत होना दर्शित होता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

––:: क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/23/2251 दिनांक 22.12.2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि नवीन खसरा नम्बर 916/425 रकबा 0.5264है0 अवस्थित तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान की उत्तरी भूजा जिसकी सैटलमेन्ट के दौरान गलत तरमीम कर दी गई , जिसको संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है , को पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से दर्शित खसरा नम्बर 254 की उत्तरी भूजा के अनुसार यथास्थान तरमीम करे । इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 15:12:13 IST
Reason: SelfAttested